<u>न्यायालय सेशन न्यायाधीश झुंझुनूं (राज०)</u>

पीठासीन अधिकारीः- **सुनील कुमार पंचोली,**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः- **311/2026 (CIS N. 345/2026)**

रमेश कुमार पुत्र मोजीराम, उम्र 35 वर्ष, निवासी तोगड़ा खुर्द, पुलिस थाना सदर झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं (राज०) **...प्रार्थी/अभियुक्त**

//बनाम//

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक झुंझुनूं (राज०) **....विपक्षी**

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
बमुकदमा एफआईआर संख्या 78/2026 पुलिस थाना मुकुन्दगढ
अन्तर्गत धारा 319(2),318(2)(4),316(2),61(2)
<u>भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आईटी एक्ट</u>

<u>उपस्थितः-</u>
1 श्री राजेश कुमार मीणा, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी
2 श्री रामावतार ढाका, विद्वान लोक अभियोजक वास्ते राज्य

<u>आदेश</u> **दिनांकः- 05.06.2026**

1. यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त रमेश कुमार की ओर से विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ द्वारा दिनांक 03.06.2026 को धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन जमानत आवेदन खारिज करने से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनाँक 26.05.2026 को परिवादी सुनिल कुमार सउनि पुलिस थाना मुकुन्दगढ ने एक रिपोर्ट इस आशय का पेश की कि पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं के पत्र द्वारा संचालित साईबर अपराधों की रोकथाम हेतु अभियान के तहत संदिग्ध बैंक खाता संख्या 51114944260 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा राणासर खाताधारक रमेश कुमार पुत्र मोजीराम की साईबर क्राइम के समन्वय पोर्टल व साईबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जांच की गयी तो उक्त खाता पर प्रथम व द्वितीय लेयर की कुल पांच शिकायतें पायी गयी जिसमें रमेश कुमार द्वारा साईबर फ्रॉड में शामिल होकर 3,50,000/-रूपये का साईबर फ्रॉड किया गया इत्यादि। इस पर पुलिस थाना मुकुन्दगढ पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 78/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 319(2),318(2)(4),316(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आईटी एक्ट दर्ज की जाकर अनुसंधान

प्रारंभ किया गया। दौराने अनुसंधान प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 27.05.2026 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है।

3. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक अभिलेख शून्य होना बताया गया है।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने जमानत प्रार्थना पत्र के तथ्यों के अनुरूप बहस करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठा फंसाया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी मजदूरी पेशा है, उसे बैंकिंग का ज्ञान नहीं है, उसके बैंक खाता को ऑनलाइन किसने उपयोग में लिया इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से अभिरक्षा में है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा का लाभ दिया जावे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध किया गया।

5. उभयपक्ष को सुनकर अनुसंधान पत्रावली का ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 319(2),318(2)(4),316(2),61(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66 डी आईटी एक्ट के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप है। अभियोजन कहानी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के बैंक खाते के संबंध में पांच शिकायतें दर्ज है तथा उसके द्वारा 3,50,000/-रूपये की राशि का फ्रॉड किया गया है। अनुसंधान में यह तथ्य आया है कि अभियुक्त के खाते में साइबर फ्रॉड की राशि उसके भाई मुकेश कुमार द्वारा डलवाई व निकलवाई गई है तथा अभियुक्त के खाते का एटीएम व चैकबुक भी मुकेश के पास ही है। अभियुक्त को उसके खाते के उपयोग के बदले में दस हजार रूपये दिये गये थे। प्रार्थी दिनांक 27.05.2026 से अभिरक्षा में है जिससे अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थी/अभियुक्त को और अधिक समयावधि तक अभिरक्षा में रखे जाने से किसी भी प्रयोजन की पूर्ति होना जाहिर नहीं होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर विस्तृत टिप्पणी किए बिना मैं प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा दिया जाना न्यायोचित समझता हूं।

6. परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रमेश कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया

जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नवलगढ़ की संतुष्टिप्रद पच्चीस–पच्चीस हजार रूपए की दो मोतबिर जमानतें और पचास हजार रूपए का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करवाने पर उसे जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

7. न्यायिक नजीर In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated. 31.01.2023 की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिए ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

8. आदेश आज दिनांक **05.06.2026** को लिखाया जाकर सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(सुनील कुमार पंचोली)
सेशन न्यायाधीश
झुंझुनूं (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.06 10:50:46 IST